

二三

सूर्य प्रकाश मिथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा दै

१-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2010

दिश्यः- शहरी गरीबों को प्राथमिक सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु वर्षावार कुल बजट का 25 प्रतिशत बजट आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कियान्वित जेएनएनवूआरएम के 04 उपघटक हैं- (1) अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेंस (2) बेसिक सर्विसेज फार अरबन पूर्झर्स (3) अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (4) इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम इसके अन्तर्गत प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 07 नगरो- लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा के अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेंस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इन शहरों के स्लम एरिया डेवलपमेन्ट के लिए बेसिक सर्विसेज फार अरबन पूर्झर्स कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार 10 लाख में कम जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० योजना कियान्वित की जा रही है। इन शहरों के स्लम एरिया के डेवलपमेन्ट हेतु जाई०एच०एस०डी०पी० योजना कियान्वित की जा रही है।

2- जेएनएनयूआरएम के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर/निकाय स्तर पर कठिपद्य अनिवार्य एवं ऐच्छिक सुधारों को लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित सुधारों के अन्तर्गत शहरी गरीबों को आवश्यक प्राथमिक सुविधाएं प्रदान किये जाने से संबंधित एक प्रमुख सुधार- “Internal EarMarking of Municipal/ULB Budget for Basic Services to Urban Poor” है। इसके अन्तर्गत शहरी गरीबों को आवश्यक प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निकाय के कुल बजट (कैपिटल+राजस्व) का 25 प्रतिशत बजट का आवंटन किया जाना है। यह धनराशि व्यपत्र (लेप्सबल) नहीं होगी।

3- इस संदर्भ में पूँछे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उक्त सधार के परिप्रेक्ष में अपने निकाय के कूल बजट

(इंप्रिटल + राजस्व) दा 25 प्रतिशत बजट का आवंटन प्रत्येक वर्ष शहरी गरीबों को आवश्यक प्राथमिक सूचिधार्त उपलब्ध कराये जाने हेतु करने का कष्ट करें। यह धनराशि अपगत (लैप्सबत) नहीं होगी। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सूनीश्चत करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- ✓ 2- संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीब उपशमन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, स्थानीय निक्षय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।